न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव
(आर.ए.एस.).

दिनांकः– 7/7/25

न.मु.– 129

ताराचन्द प्रजापत वनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वावत रिकॉर्ड दुरूस्ति

– : निर्णय :– दिनांकः– 14/7/25

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 7/07/2025 को प्रार्थी ताराचन्द प्रजापत पुत्र खेताराम आयु 76 वर्ष जाति प्रजापत निवासी दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू राज. ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा न. 287/193 तादादी 0.8039 हैक्टेयर, वाके रोही ग्राम बैनाथा उमजी में मेरा नाम **ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति)** दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम **ताराचन्द प्रजापत पुत्र खेताराम जाति प्रजापत** हैं। प्रतिवादी संख्या 1 को तलब किया गया। अतः **ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति)** की जगह **ताराचन्द प्रजापत पुत्र खेताराम जाति प्रजापत** अंकित किया जावे।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया कि प्रार्थी अपना नाम **ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति)** की जगह **ताराचन्द प्रजापत पुत्र खेताराम जाति प्रजापत** शुद्ध करके करवाये तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक डायरी, गैस डायरी आदि की सत्यापित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में **ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति)** की जगह **ताराचन्द प्रजापत पुत्र खेताराम जाति प्रजापत** अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खेत खसरा न. 287/193 तादादी 0.8039 हैक्टेयर, वाके रोही ग्राम बैनाथा उमजी में **ताराचन्द पुत्र खेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति)** की जगह **ताराचन्द प्रजापत पुत्र खेताराम जाति प्रजापत** के आदेश दिये जाते है, तहसील बीदासर को प्रतिलिपि पालानार्थ भेजी जावे। यह निर्णय आज दिनांक 14-7-25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बीदासर जिला–चूरू ★ सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर